Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2264/2009</u>

याचिकाकर्तागण : विनोद सिंह एवं अन्य।

बनाम

उत्तरवादीगण : भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य।

दिनांक- 20 नवंबर, 2010 को आदेश की उद्घोषणा घोषणा हेतु सूचिबध्द

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2264/2009</u>

याचिकाकर्तागण : विनोद सिंह एवं अन्य।

बनाम

उत्तरवादीगण : भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य।

<u>रिट अपील भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226, के तहत</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति</u>

उपस्थित: श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी याचिकाकर्तागण की ओर से अधिवक्ता ।

श्री सुधीर अग्रवाल, उत्तरवादीगण के अधिवक्ता।

<u>निर्णय एवं आदेश</u>

(दिनांक- 20 नवम्बर, 2010 को घोषित)

1. इस याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा जारी दिनांक 07.02.2009 (अनुलग्नक पी/1 और पी/2) के मांग नोटिस, उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा जारी दिनांक 26.03.2009 (अनुलग्नक पी/11) के पत्र, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को,

उधारकर्ता होने के नाते, वाहन की वापसी के बाद जब्ती और भंडारण की लागत का भुगतान करने के लिए ब्याज और अन्य शुल्क के रूप में 19,83,117/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, और इसके अलावा, पंजीकरण क्रमांक सीजी-04/जेबी/6664 और सीजी-04/डीडी/6664 वाले ट्रेलर (ट्रकों) की बिक्री के लिए निविदा आमंत्रित करने का नोटिस दिया गया था, उसकी वैधता और विधि मान्यता को चुनौती दी गई है।

2. संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 एवं 2 ने ट्रेलर (ट्रक) खरीदने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बरमकेला, जिला रायगढ़ से अपने मकान को वाहनों के बंधक सहित समतुल्य बंधक पर 18,90,000/- रुपये का ऋण प्राप्त किया था। ऋण-सह-बंधक अनुबंध (अनुलग्नक-7) दिनांक 21.06.2008 के अनुसार, भुगतान की किस्त दर 36,001/- रुपये मासिक प्रत्येक वाहन के संबंध में याचिकाकर्ताओं और उत्तरवादी बैंक के बीच निर्धारित की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. एक वाहन प्रथम याचिकाकर्ता के नाम पर पंजीकृत था और दूसरा वाहन द्वितीय याचिकाकर्ता के नाम पर पंजीकृत था। प्रथम याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.10.2008 को क्रमशः 20,000/- रुपये, 20,000/- रुपये और 20,000/- रुपये, कुल 60,000/- रुपये और दिनांक 04.11.2008 को 43,820/- रुपये, कुल 1,23,820/- रुपये जमा किए, इसी प्रकार, द्वितीय याचिकाकर्ता ने दिनांक

01.10.2008 को 60,000/- रुपये और दिनांक 03.11.2008 को 65,000/- रुपये, कुल 1,25,000/- रुपये प्रत्येक वाहन के लिए स्वीकृत ऋण के विरुद्ध जमा किए। इसके बाद, दिनांक 07.02.2009 को दोनों याचिकाकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया गया (अनुलग्नक पी/1 और पी/2) जिसमें उनसे क्रमशः 19,53,066 रुपये एवं 19,51,924 रुपये की राशि और 2,84,644 रुपये एवं 2,83,464 रुपये की किश्तों में चूक के भुगतान की मांग की गई।

4. याचिकाकर्तागण को उत्तरवादी बैंक से पत्र दिनांक 19.03.2009 (अनुलग्नक पी/5 और पी/6) भी प्राप्त हुए, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा जारी किए गए क्रमशः रु. 2,54,186/- और रु. 2,54,186/- राशि के चेक उनके संबंधित खातों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के आधार पर अस्वीकार कर दिए गए थे। तदनुसार, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1881' कहा जाएगा) की धारा 138 के तहत दिनांक 19.03.2009 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को सात दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त राशि जमा करने के लिए सूचित किया गया। इसके बाद, दिनांक 23.03.2009 को उत्तरवादी बैंक के अधिकृत वसूली अधिकारियों को नियमित किश्तों (अनुलग्नक पी/7 और पी/8) का भुगतान न करने पर वाहनों को जब्त करने और ब्याज सहित क्रमशः 18,83,117/- और 19,81,802/- रुपये की शेष राशि की वसूली के निर्देश दिए गए थे। परिणामस्वरूप, दोनों वाहन जब्त कर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए गए। दिनांक 26.03.2009 (अनुलग्नक P/11) को प्रथम याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि जब्त वाहन की जब्ती और भंडारण की लागत का भुगतान करने के लिए 19,83,117/- रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। दूसरे याचिकाकर्ता के अन्य वाहन के संबंध में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया। उत्तरवादी बैंक द्वारा दिनांक 04.04.2009 के विज्ञापन (अनुलग्नक P/15) के माध्यम से दोनों वाहनों की बिक्री के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई।

5. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी ने तर्क दिया कि उत्तरवादी बैंक ने दिनांक 03.11.2008 के पत्र द्वारा मकान के मूल कागजात मांगे थे, जो प्रस्तुत नहीं किए जा सके क्योंकि वे मकान ऋण के संबंध में इंडियन बैंक, रायपुर के कब्जे में थे। यथा, उत्तरवादी बैंक द्वारा वाहनों को जब्त करने का चरम कदम उठा लिया गया। याचिकाकर्ताओं को 60 महीनों में किश्तें जमा करनी थीं। इस प्रकार, 36,001/- रुपये प्रति माह की दर से किश्त का निर्धारण अनुबंध के विपरीत था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्रीमती त्रिपाठी ने आगे कहा कि हालांकि याचिकाकर्ताओं ने नियमित रूप से किश्तों का भुगतान नहीं किया है, फिर भी याचिकाकर्ताओं द्वारा क्रमशः 1,23,820/- रुपये और 1,25,000/- रुपये का भुगतान किया गया था। केवल 1 लाख रुपये की मामूली राशि जो किश्त से कम थी, का भुगतान नहीं किया

जा सका था। इस प्रकार वाहन को जब्त करने का चरम कदम मनमाना और अवैध था। बैंक ने याचिकाकर्ताओं को दिनांक 19.03.2009 को सात दिनों की अवधि के भीतर 2,54,186/- रुपये और 2,54,186/- रुपये की राशि जमा करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन उत्तरवादी-बैंक ने 7 दिन पूरे होने का इंतजार किए बिना ही दिनांक 24.03.2009 को विवादित दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। इस प्रकार उत्तरवादी-बैंक की पूरी कार्रवाई अयुक्तियुक्त और अवैध थी। 19 लाख रुपए मूल्य के वाहन को मात्र 12,20,420/- रुपए में विक्रय किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 19.03.2009 को अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया नोटिस (अनुलग्नक पी/5 और पी/6) संपूर्ण बकाया राशि या किश्तों से कम राशि के भुगतान के लिए नहीं था, बल्कि प्रति 2,54,186/- रुपये के दो अस्वीकृत चेकों के भुगतान के लिए जारी किया गया था, जिनका भुगतान याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि सात दिन पूरे होने का इंतज़ार किए बिना ही वाहनों को ज़ब्त करने जैसा कठोर कदम उठाया गया, तथ्यों के आधार पर गलत है।

8. श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं ने अपने खातों में पर्याप्त राशि के अभाव में अस्वीकृत चेक की राशि का भुगतान कर दिया होता, तो भी नियमित किश्तों का भुगतान न करने की स्थिति साफ नहीं होती। अनुबंध (अनुलग्नक-7) से स्पष्ट है कि 36,001/- रुपये प्रत्येक की 36 किश्तें तीन साल के लिए तय की गई थीं, और एक भी किस्त का भुगतान न करने पर वाहनों को वापस ले लिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के पास पर्याप्त जानकारी थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने दोनों वाहनों को बिक्री के लिए अधिसूचित करने के बाद किसी तीसरे पक्ष को बेचने से पहले शेष राशि का भुगतान करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके अलावा, जब याचिकाकर्ताओं ने वाहनों की विक्रय के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन को चुनौती दी है, तो याचिकाकर्ताओं ने वाहनों के विक्रयकर्ता को भी उत्तरवादी के रूप में शामिल नहीं किया है। इस प्रकार, केवल इसी कारण से, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अभिवचनो और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिनांक 21.06.2008 (अनुलग्नक-7) के ऋण-सह-बंधक अनुबंध के अनुसार याचिकाकर्ता 36,001/- रुपये की दर से 36 महीने यानी तीन साल के लिए किश्तों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। याचिकाकर्ता पहले दिन से ही किश्तों

का भुगतान करने में विफल रहे, बल्कि पहली बार अक्टूबर महीने में 60,000/- रुपये जमा किए गए और कुल 1,23,820/- रुपये और 1,25,000/- रुपये की राशि, 18,90,000/- रुपये के स्वीकृत ऋण के विरुद्ध, संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा नवंबर, 2008 में जमा की गई। दिनांक 7.2.2009 का आक्षेपित नोटिस (अनुलग्नक पी/1 और पी/2) जारी किए गए थे, इससे पहले, याचिकाकर्ताओं ने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं दिखाया तथा नवंबर, 2008 के बाद नियमित किश्तों का भुगतान करने का प्रयास नहीं किया।

10. जहां तक याचिकाकर्ताओं की यह तर्क है कि 19.03.2009 के नोटिस के अनुसार उत्तरवादी बैंक को सात दिनों की अवधि तक इंतजार करना चाहिए था, यह स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त नोटिस प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा 2,54,186/- रुपये की राशि के भुगतान के लिए जारी किए गए थे क्योंकि उनके द्वारा जारी किए गए उक्त राशि के चेक का अनादरण नहीं किया गया था और इस प्रकार, उक्त नोटिस अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत जारी किए गए थे। अधिनियम, 1881 की धारा 138 के प्रावधानों के तहत नोटिस में अलग वादकारण शामिल है, जो अन्य फोरम के तहत विचारणीय एवं दंडनीय है। इस प्रकार, मामले की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता यह प्रमाणित करने में विफल रहे हैं कि वे किश्तों का भुगतान करने में नियमित थे और नवंबर, 2008 के बाद उन्होंने किश्तों का भुगतान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने के लिए कोई कदम उठाया है, यह नहीं माना जा सकता है कि उत्तरवादी बैंक की कार्रवाई अवैध या अनियमित थी।

11. दिनांक 21.06.2008 के ऋण-सह-बंधक अनुबंध का खंड 10 निम्नानुसार है:

> *"10. उधारकर्ता (गण) इस बात से सहमत हैं कि इसमें या किसी अन्य दस्तावेज़ में निहित किसी भी बात के बावजूद, उक्त सुविधाओं के तहत देय संपूर्ण शेष राशि, यदि बैंक द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो तुरंत भुगतान योग्य तथा देय हो जायेगी और निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर बैंक अपनी प्रतिभूति लागू करने का हकदार होगा:*
>
> *क. मूलधन या ब्याज की कोई भी किस्त जो बकाया हो तथा देय तिथि के बाद एक महीने की अवधि के लिए अवैतनिक रह गई हो, चाहे मांग की गई हो या नहीं;*
>
> *ख. उधारकर्ता द्वारा यहां निहित या उधारकर्ता(गण) के प्रस्ताव या किसी अन्य दस्तावेज़ में निहित किसी भी शर्त के निष्पादन या पालन में कोई उल्लंघन या चूक करना;*
>
> *ग. यदि उधारकर्ता(गण) द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन या दस्तावेज असत्य या झूठे या गलत पाए जाते हैं;*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घ. अपने लेनदारों के साथ कोई व्यवस्था या समझौता करने पर या दिवालियापन का कोई कार्य करने पर;

ङ:. उधारकर्ता के विरुद्ध लगाया गया या लागू किया गया कोई निष्पादन या अन्य समान प्रक्रिया;

च. यदि समापन के लिए कोई आदेश दिया जाता है या कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है या समापन की याचिका दायर की जाती है या ऐसा प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक का नोटिस जारी किया जाता है;

च. उधारकर्ता की संपत्ति के सभी या किसी हिस्से के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जाना;

छ. यदि उधारकर्ता व्यवसाय करना बंद कर देता है या व्यवसाय न करने की धमकी देता है;

ज. यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो बैंक की राय में प्रतिभूति के लिए प्रतिकूल है या उसे खतरे में डालती है या उसके प्रतिकूल होने की संभावना है या जो उक्त सुविधाओं के तहत किसी भी राशि को चुकाने की उधारकर्ता(ओं) की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है;

झ. यदि उधारकर्ता(गण) आवश्यक विवरण प्रस्तुत नहीं करता है या बैंक की पूर्व अनुमति/जानकारी के बिना धनराशि या उक्त परिसंपत्तियों का दुरुपयोग/हस्तांतरण करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त में से कोई भी घटना घटित हुई हो या ना हुई हो, बैंक का निर्णय निर्णायक, अंतिम और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

बशर्ते कि हमेशा बैंक अपने विवेकानुसार, उपरोक्त किसी भी घटना के होने के बावजूद भी इसके अंतर्गत प्राप्त अपने अधिकारों को लागू करने से सदैव परहेज कर सकता है। और यह भी प्रावधान किया गया है कि इसके अंतर्गत या अन्य प्रतिभूति दस्तावेज़ों के अंतर्गत किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में कोई विफलता या देरी, या ऐसे अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग, बैंक द्वारा उसके आगे किसी भी प्रयोग को बाधित/समाप्त या बाधित नहीं करेगा या किसी अन्य शक्ति, अधिकार या विशेषाधिकार के त्याग या प्रयोग के रूप में कार्य नहीं करेगा। बैंक के अधिकार और उपचार केवल संचयी हैं, अनन्य नहीं।"

12. उपर्युक्त अनुबंध के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अनुबंध के खंड 10 (क) के प्रावधानों से सहमत थे कि नियत तिथि के एक माह बाद तक किस्त का भुगतान न करने पर बैंक बंधक वाहनों और अन्य संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर अपनी प्रतिभूति लागू करने का हकदार था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अनुबंध के खंड 10 का प्रावधान गैर-बाधा खंड था और यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुबंध के खंड 10 (क) से 10 (झ) में निहित शर्तों के उल्लंघन पर बिना शर्त लागू होता था।

13. यह याचिका आवश्यक पक्षों के शामिल न होने के आधार पर भी खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि उक्त वाहनों की विक्रय के बाद तीसरे पक्ष का हित सृजित हो गया है। याचिकाकर्ताओं ने विक्रयकर्ता को पक्ष/उत्तरवादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया है।

14. अनुबंध के तहत भी, याचिकाकर्ताओं का घर गिरवी रखा गया था। याचिकाकर्ताओं ने स्वामित्व के कागजात जमा नहीं किए क्योंकि उन्होंने कथित रूप से उक्त गिरवी रखी गई संपत्ति पर आवास ऋण लिया था। इसे याचिकाकर्ताओं की ओर से उचित कार्रवाई नहीं माना जा सकता क्योंकि वे एक बैंक में संपत्ति गिरवी रखकर ऋण नहीं ले सकते थे जब उसी गिरवी पर दूसरे बैंक से ऋण लिया जा चुका हो, बिना यह बताए कि संपत्ति पहले से ही इंडियन बैंक, रायपुर से लिए गए आवास ऋण के कारण गिरवी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपर्युक्त कारणों और विश्लेषण के आधार पर, याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है।

16. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>Translated by – Vidhi Mehta</u>